संमाहरणालय, मधेपुरा

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 13/गो0,(आग्नेयास्त्र) दिनांक 10-06-2014 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मधेपुरा थाना कांड संख्या-153/14, दिनांक 16-03-2014, धारा- 147/149/149/323/324/308/307/35 भा0द0वि0 के अभियुक्त **श्री मनोज यादव**, पिता- मुकेश्वर प्रसाद यादव, सा0-वार्ड नं0-04, थाना- मधेपुरा, जिला मधेपुरा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। श्री यादव के नाम से एक एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति संख्या- 0122002 (मधेपुरा थाना) निर्गत है, जिसे रद्द करने हेतु अनुशंसा सहित अग्रसारित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा एवं थानाध्यक्ष, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि श्री यादव हिसंक प्रवृति के व्यक्ति है एवं इनके पास अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र होने पर किसी भी अप्रिय घटना की पुर्नावृति से इंकार नहीं किया जा सकता है। इससे स्वतः स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र अनुज्ञप्ति शर्त्तो का पालन करने में सक्षम नहीं हैं।

अतएव पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचार करते हुए शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(b)(d) एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9ए का उल्लंघन के आरोप में श्री मनोज यादव, पिता- मुकेश्वर प्रसाद यादव, सा0-वार्ड नं0-04, थाना- मधेपुरा, जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति सं0-01/2002(मधेपुरा थाना) को ''निलंबित'' किया जाता है। शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-21 के अन्तर्गत उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित रायफल संख्या- 38630 (30.06बोर) को संबंधित थाना एवं मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही श्री **मनोज यादव** को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आरोप के संदर्भ में क्यों नहीं उनकी उक्त अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाए, के संबंध स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करें।

थानाध्यक्ष, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी से शस्त्र जमा लेने के पश्चात् बगैर सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किए उन्हें किसी भी परिस्थिति में शस्त्र हस्तगत नहीं करायेंगे एवं पूर्णरूपेण सुरक्षित रखेंगे। चूँकि श्री यादव न्यायिक हिरासत में जेल में है। इसलिए अधीक्षक, मंडल, कारा, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रासंगिक आदेश की एक प्रति संबंधित बंदी को तामिला कराकर दूसरी प्रति उनका हस्ताक्षर प्राप्त कर हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करते हुए तामिला प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

श्री मनोज यादव, पिता- मुकेश्वर प्रसाद यादव, सा0-वार्ड नं0-04, थाना- मधेपुरा, जिला मधेपुरा उक्त आदेश का अनुपालन पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में ''निलंबित'' प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक......265........./विधि, मधेपुरा, दिनांक....25.01-2014.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री मनोज यादव, पिता- मुकेश्वर प्रसाद यादव, सा0-वार्ड नं0-04, थाना- मधेपुरा, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

25/6/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।